न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 6/2021
3. उनवान : ग्राम पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

राजू पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट, निवासी ग्राम काचरोदा, श्याम नगर, सामोता का बास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 24/01/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा चाहने बाबत् आवेदन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुये चारागाह भूमि खसरा नम्बर 661 में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि खसरा नम्बर 662 में बताकर दिनांक 07.07.2017 को पट्टा संख्या 34 क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज जारी करवा लिया। कौरम बैठक में पटवार हल्का ने भी पत्रावलीयों का अवलोकन किया व बने हुये मकानात आवेदनकर्ताओं के आबादी भूमि में होना बताया। उक्त जारीशुदा पट्टा खसरा नम्बर 661 किस्म चारागाह की भूमि जो खसरा नम्बर 662 गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा चारागाह भूमि में होना पाया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत/निगरानीकार ने कौरम के व विपक्षी संख्या 1 के विश्वास पर चूँकि मौके पर काफी आबादी बसी हुई हैं और उक्त जारी पट्टा को आबादी में मानते हुये चूँकि यह चारागाह भूमि की सीमा से लगती हुई होने के कारण यह ध्यान नही रहा और उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व शपथपत्र पर विश्वास कर कौरम द्वारा भी इन तथ्यों पर विश्वास कर मौके आदि का अवलोकन कर चूंकि आबादी और चारागाह भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा चारागाह भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2919 दिनांक 12/03/2021 के द्वारा उक्त विधि विरूद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत् ग्राम पंचायत की ओर से निगरानियां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरूद्ध आदेशों के विरूद्ध मियाद का बिन्दु लागू नही होता है। अन्त में निवेदन किया है कि संकल्प संख्या 6 दिनांक 06.03.2017 की अनुपालना मे पट्टा संख्या 34 दिनांक 07.07.2017 को जारी किया गया को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

ग्राम पंचायत काचरोदा बनाम राजू

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 34 दिनांक 07.07.2017 मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। गैरनिगरानीकार के विरूद्ध दिनांक 13.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा चाहने बाबत् आवेदन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुये चारागाह भूमि खसरा नम्बर 661 में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि खसरा नम्बर 662 में बताकर दिनांक 07.07.2017 को पट्टा संख्या 34 क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज जारी करवा लिया। कौरम बैठक में पटवार हल्का ने भी पत्रावलीयों का अवलोकन किया व बने हुये मकानात आवेदनकर्ताओं के आबादी भूमि में होना बताया। उक्त जारीशुदा पट्टा खसरा नम्बर 661 किस्म चारागाह की भूमि जो खसरा नम्बर 662 गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा चारागाह भूमि में होना पाया। आबादी और निजी खातेदारी भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा निजी खातेदारी भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू के द्वारा दिनांक 12/03/2021 को विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत् ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः संकल्प संख्या 6 दिनांक 06.03.2017 की अनुपालना में पट्टा संख्या 34 दिनांक 07.07.2017 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू की रिपोर्ट दिनांक 12/03/2021 के अनुसार निगरानीधीन पट्टा सीमाज्ञान अनुसार चारागाह भूमि में जारी होना पाया गया। तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक की रिपोर्ट 4398 दिनांक 17.06.2021 में निगरानीधीन पट्टा संख्या 34 चारागाह भूमि में जारी होना पाया गया। अतः ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 34 दिनांक 07.07.2017 का चारागाह भूमि में आवासीय पट्टा जारी होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या 6 दिनांक 06.03.2017 की अनुपालना में ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 07.07.2017 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate ... JAIPUR

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर